बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

आदेश

आ०सं०–2/अ0प्र0–1–13/2016 1820 /पटना, दिनांक :– 3.12.2020

श्री राम कुमार मिश्र, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल से अगस्त 2015 का मासिक लेखा विवरणी ससमय महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को समर्पित नहीं करने के आरोप पर आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय पत्रांक 1460 अनु0 दिनांक 27.04.2016 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री मिश्र से प्राप्त स्पष्टीकरण दिनांक 05.05.2016 में उल्लेख किया गया कि माह अगस्त 2015 से लेखा के संबंध में महालेखाकार, पटना के पत्रांक WM–6 (2015–16)–605 दिनांक 05. 10.2015 के संदर्भ में सूचित किये है कि माह 6/15 का लेखा औपबंधिक रूप से पारित है एवं 7/15 मासिक लेखा पारित नहीं है। आपत्ति का निराकरण नहीं होने के कारण 8/15 का लेखा लंबित है। माह अगस्त 2015 का मासिक लेखा दिनांक 04.09.2015 को इस कार्यालय के द्वारा निर्गत किया गया है। पुनः महालेखाकार कार्यालय में सम्पर्क स्थापित इस कार्यालय के पत्रांक 1354 दिनांक 05.12.2015 के द्वारा उक्त सभी त्रुटीपुर्ण लेखा का निराकरण किया गया है।

3. श्री मिश्र के स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी और समीक्षोपरान्त उसे अस्वीकार योग्य पाते हुए उन्हें भविष्य में अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहने की चेतावनी देने का निर्णय लिया गया है।

4. प्रस्ताव में विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

अतः उक्त के आलोक में श्री राम कुमार मिश्र, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, पटना को भविष्य में अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहने की चेतावनी दी जाती है।

2.12.20

(कृष्ण मोहन सिंह)
उप सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–13/2016 1820 /पटना, दिनांक :– 3.12.2020

प्रतिलिपि :–सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विभागीय आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग/श्री राम कुमार मिश्र, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.12.20

उप सचिव